



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक- 30 सितम्बर, 2024**

**थाना- चोला**

## **जिला बदर शातिर अपराधी अवैध असलहा, कारतसू सहित गिरफ्तार।**

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 की रात्रि मे थाना चोला पुलिस द्वारा गस्त के दौरान एक जिला बदर अपराधी को ग्राम फतेहपुर जादौन को जाने वाले रास्ते से अवैध असलहा कारतसू सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसे मा0 न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 28-06-2024 को 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना चोला पर मुअसं- 196/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व 3/10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1. गोलू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र लालकिशन निवासी ग्राम खानपुर थाना चोला जनपद बुलन्दशहर ।

### **बरामदगी-**

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01जिन्दा कारतूस

### **अभियुक्त गोलू उर्फ धर्मेन्द्र का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं- 11/23 धारा 147/148/452/323/336/352 भादवि थाना चोला जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं- 127/23 धारा 147/148/149/323/307/504/325 भादवि थाना चोला जनपद बुलन्दशहर
3. मुअसं- 196/24 धारा 3/10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधि0 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना चोला बुलन्दशहर

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री लोकेश प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक चोला
2. उ0नि0यूटी पवन प्रताप
3. है0का0 चन्द्रवीर सिंह, का0 अरविन्द कुमार



**मीडिया सैल बुलन्दशहर**